न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/439

मदनलाल आत्मज श्री धूली लाल जाति लश्करी निवासी ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. बहादुर आत्मज श्री मोती लाल माता कन्या बाई ।
2. प्रेम बाई पुत्री श्री मोती लाल माता कन्या बाई ।
3. कौशल्या बाई पुत्री श्री मोतीलाल माता कन्या बाई जाति लश्करी निवासीगण ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. जगन्नाथ आत्मज श्री रामा ।
5. छोटूलाल आत्मज श्री रामा ।
6. बद्री बाई पुत्री रामा जाति लश्करी निवासीगण ग्राम मोतीकुआ तहसील दीगोद जिला कोटा ।
7. किशोरी बाई पत्नी श्री जुगल किशोर जाति माली निवासी रंगतलाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. भूरी बाई पत्नी श्री छोटूलाल ।
9. माया बाई पत्नी श्री चन्द्रभान ।
10. दाखा बाई पत्नी श्री नाथूलाल ।
11. नाथी बाई पत्नी श्री रामरतन ।
12. सीता बाई पत्नी श्री रामगोपाल ।
13. ममता बाई पत्नी श्री रमेश चन्द जाति लश्करी निवासीगण ग्राम मोतीकुआ तहसील दीगोद जिला कोटा ।
14. महेश कुमार आत्मज श्री अमर लाल ।
15. संतोष पुत्री श्री अमर लाल ।
16. ममता पुत्री श्री अमरलाल ।
17. धापू पुत्री श्री अमर लाल ।
18. मन्नी बाई बेवा श्री अमर लाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 08.05.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.08.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 बहादुर, प्रेमबाई एवं कौशल्या बाई ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 144 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कचनावदा तहसील दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 2.67 हैक्टर एवं ग्राम मोती कुआ तहसील दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 425 रकबा 2.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 426 रकबा 2.39 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2016 को एकतरफा अंतिम डिक्री पारित की गई थी जो सेटअसाईड की जा चुकी है ऐसी स्थिति में उपरोक्त वादग्रस्त आराजी को दिनांक 16.02.2016 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जाना न्यायोचित है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.02.2016 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी में कन्या बाई 1/4 हिस्से की खातेदार घोषित होने की अधिकारी है चूँकि कन्या बाई का देहान्त हो चुका है अतः कन्या बाई के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी क्रम 11 से 15 को कन्या बाई के 1/4 हिस्से की भूमि पर खातेदार घोषित करते हुए प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा ग्राम कचनावदा व ग्राम मोतीकुआ की भूमि में से अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान कर देने से उक्त भूमि को उनके हिस्से से कम करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3016.02.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 व रेस्पोडेन्ट क्रम 14 से भूमि क्रय की है इसलिए प्रार्थी का उक्त भूमि में हित– निहित है और वह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से व्यथित पक्षकार है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

6. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट ने अपना हित निहित होना बताया है ऐसी स्थिति में न्यायहित में हम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

पील अपीलान्ट रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट कम 1 से 3 व रेस्पोडेन्ट कम 14 से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से भूमि कय की है इसलिए प्रार्थी का उक्त भूमि में हित– निहित है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस जारी किये बिना ही एवं अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अपीलान्ट अपनी कयशुदा आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.02.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2016 को एकतरफा अंतिम डिक्री पारित की गई थी जो सेटअसाईड की जा चुकी है ऐसी स्थिति में उपरोक्त वादग्रस्त आराजी को दिनांक 16.02.2016 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जाना न्यायहित में आवश्यक था । इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 16.02.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए डिक्री जारी की थी । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट पक्षकार नहीं था अपीलान्ट ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की है और उनका उक्त भूमि में हित–निहित होना साबित है । न्यायालय ने भी वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का हित–निहित होना माना है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलान्ट को सुने बिना ही निर्णय एंव डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.02.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 25.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा